# फर्द अहकाम

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

:— रामलाल

विपक्षी :— गंगाबाई

मुकदमा — 128 भू.रा.अधि.

पत्रावली संख्या : 27 / 23

| कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाए जारी की गई |
| --- | --- |

दिनांक : 21.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 2, 4 से 15 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जा चुके है। विपक्षी संख्या 3 अनुपस्थित है। आवाजें दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। विपक्षी संख्या 16 द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 से 15 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। शेष विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी प्रार्थनाग्रस्त भूमि का विकास कराना चाहता है जिससे भूमि के चारों ओर तारबंदी कराना चाहते है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। अतः प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

## —: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम [illegible] हल्का सारंगपुरा (कानोड़) तहसील कानोड की खाता संख्या नया 2[illegible] की आराजी संख्या 324 किता 1 रकबा 0.6900 हैक्टेयर भूमि के चारों दिशाओं [illegible] सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार [illegible] को नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.09 15:37:16 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सुनाया गया।